

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1741/2011/बीकानेर.

सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री बालाजी एन्टरप्राइजेज,
एफ-395, एम.डी. व्यास नगर, बीकानेर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 28/03/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 261/आरवैट/बीकानेर/09-10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 02.03.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।
2. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2009 के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गयी थी, उसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में सृजित मांग रूपये 5,029/- थी परन्तु आदेश के अग्र भाग में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अंकित किया था कि रूपये 3,04,618/- की राशि पर अतिरिक्त करारोपण किया जा रहा है, इस टिप्पणी के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई तब अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 5.01.2011 को अपील निर्णय करते हुए उक्त रूपये 3,04,618/- पर 12.5 प्रतिशत से कर आरोपण रूपये 38,077/- मानकर इस राशि को अपास्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अब राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
5. रेकॉर्ड के अवलोकन से यह विचित्र तथ्य प्रकाश में आया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 02.03.2009 को जो आदेश पारित किया गया है उसमें ऑडिट रिपोर्ट अनुसार कर योग्य सामग्री रूपये 31,02,007/- अंकित की है जिस पर व्यवहारी के अनुसार कर देयता थी एवं रूपये 27,96,910/- लेबर एवं गैराज खर्चे बताये गये थे इस तरह व्यवहारी द्वारा रूपये 31,02,007/- कुल खरीद राशि बताई गई थी जो कि उसके ट्रेडिंग एकाउण्ट के अवलोकन पर एवं दी गई खरीद सूची से भी प्रमाणित है, अभिप्राय यह है कि यह केवल परचेज वेल्यू थी।
6. कर निर्धारण अधिकारी ने इसके आगे के पैरा में यह अंकित किया है कि वे कार्य की प्रकृति को देखते हुए रूपये 3,04,618/- की राशि पर और आउटपुट टैक्स जोड़ते हैं (हालांकि वह पंक्ति गलत रूप से आउटपुट टैक्स में जोड़ने की लिखी है) जबकि उनका यह टैक्स लगाने के आशय के साथ अपीलार्थी द्वारा दर्शाई गई लेबर की राशि रूपये 27,97,910/- में से उतनी ही राशि कम की है। उसके पश्चात् अगले पैरा में कर निर्धारण अधिकारी ने वास्तव में कुल रूपये 31,97,520/- पर ही करारोपण किया है जो कर के रूप में कुल 3,68,622/- की राशि प्राप्त होती है। इस परीक्षण से मैंने पाया कि हालांकि कर निर्धारण अधिकारी ने निर्णय तो यह किया था कि वे रूपये 3,04,618/- पर अतिरिक्त करारोपण करेंगे परन्तु वास्तव में उन्होंने इस राशि पर कोई करारोपण किया ही नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने स्वयं ने रूपये 31,02,007/- की खरीद बताई थी एवं कर निर्धारण में करारोपण रूपये 31,97,520/- पर ही किया है इससे यह पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने खरीद राशि पर मुनाफा एवं अन्य खर्चे जोड़ते हुए जो वेल्यू ऑफ ट्रांसफर गुड्स निर्धारित की है उसमें व्यवहारी द्वारा घोषित राशि में केवल 95,000/- की ही वेल्यू बढ़ायी है। इस तथ्यात्मक स्थिति से मैं यह टिप्पणी करना चाहूंगा कि कर निर्धारण अधिकारी ने त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है क्योंकि ट्रेडिंग एकाउण्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि व्यवहारी के ग्रास प्रोफिट एवं अन्य खर्चों को देखते हुए कार्य संविदा में स्थानान्तरित माल की वेल्यू रूपये 31,02,007/- में अन्य लाभ एवं खर्चे जोड़ते हुए अधिक होनी चाहिये थी जिसका कोई विवरण नहीं दिया गया है बल्कि केवल रूपये 95,000/- ही जोड़े गये हैं जो कम प्रतीत होते हैं।




7. इस तरह त्रुटिपूर्ण आदेश करते हुए निश्चित रूप से कर निर्धारण अधिकारी ने वास्तविक करारोपण से भी कम करारोपण किया है और कर निर्धारण में उचित ध्यान नहीं रखा गया है परन्तु व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के वर्णन में की गई त्रुटि कि वे रुपये 3,04,618/- पर अतिरिक्त करारोपण कर रहे हैं का अनुचित लाभ लेने के लिये अपील प्रस्तुत कर दी एवं अपीलीय अधिकारी ने भी बिना किसी परीक्षण किये, जबकि उनके समक्ष कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली भी मौजूद थी, यह मान लिया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने रुपये 3,04,618/- पर अतिरिक्त करारोपण कर दिया है जबकि वास्तव में उन्होंने ऐसा निर्धारण नहीं किया। इस तरह से गलत लाभ लेने की मंशा से की गई अपील को अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थी व्यवहारी को रुपये 38,071/- का लाभ देने का आदेश पारित कर दिया। निश्चित रूप से इस राशि को व्यवहारी द्वारा रिफण्ड के रूप में प्राप्त कर लिया होगा या इसका समायोजन आगे के वर्षों में अवश्य लिया होगा, जो राजस्व की हानि है।

8. इस प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण एवं अपील निर्णय करने के समय उचित विचार नहीं किया गया। इस तरह से एक काल्पनिक टिप्पणी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई उसी काल्पनिक टिप्पणी का लाभ व्यवहारी द्वारा उठाने की कोशिश की गयी जिसमें वह अपीलीय अधिकारी के समक्ष सफल भी रहा जो पूर्णतया अविधिक होने से अपीलीय आदेश को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि वे लेखों का समुचित परीक्षण कर व्यवहारी का कर निर्धारण आदेश पुनः पारित करें क्योंकि प्रथम दृष्टया जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, करारोपण कम किया गया है, अतः पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें जिसमें व्यवहारी को भी सुनवाई का अवसर दिया जावे तथा यदि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय आदेश की पालना में कोई रिफण्ड या समायोजन दिया है तो उसे निरस्त कर उसकी वसूली की जावे।

9. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य